WEB COPY NOT OFFICIAL

सरकार बनाम मोटाराम
दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या–1590/2017
सी.एन.आर. नंबर RJJL08-000562-2015
निर्णय दिनांक 01.08.2026

न्यायालयः– अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – भीम सिंह मीणा (आरजेएस)

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या – 1590/2017

सी.आई.एस. नंबर – 1134/2015

01. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जिला–जालोर।

.....अभियोगी

बनाम

01. मोटाराम पुत्र जालाराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी दूठवा, पुलिस थाना चितलवाना, जिला–जालोर।

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 498'ए', 323 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य/प्रार्थी की ओर से।
02. श्री जालाराम पुनीया, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: ***दिनांकः 01.08.2026***

01. प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना चितलवाना ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त मोटाराम के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 498'ए' व 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया, जो फौजदारी मूल प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ एवं उक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने पर इस निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.09.2015 को प्रार्थिया श्रीमती सोहनी देवी पत्नी मोटाराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी दूठवा हाल हालीवाव पीएस चितलवाना ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि उसकी शादी रिपोर्ट पेश करने की दिनांक से

WEB COPY NOT OFFICIAL

करीब 08 वर्ष पूर्व उनके सामाजिक रीति–रिवाज से ग्राम हालीवाव में मोटाराम पुत्र जालाराम, निवासी दूठवा के साथ हुई थी। शादी के बाद वैवाहिक जीवन से उसके एक पुत्री व एक पुत्र जन्म हुआ। पुत्र की उम्र वर्तमान में 06 वर्ष है तथा पुत्री डेढ़ वर्ष की है। शादी के वक्त उसके पिता ने अपनी हैसीयत के अनुसार एक तोला सोने की मुरकी व चालीस तोला चांदी के आभूषण स्त्रीधन के रूप में दिए थे। शादी के एक वर्ष तक उसे उसके ससुराल वालों ने ठीकठाक रखा उसके बाद उसे तंग परेशान करने लगे। उसका पति शराबी व झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है, जो हमेशा शराब पीकर उसके साथ झगडा करता है तथा उसके साथ उसकी सासु समादेवी भी उसे मारपीट करती तथा तरह–तरह के ताने देते । काली कलूटी कहते व कभी भी सही नाम से नहीं पुकारते व ताने देना मां–बाप पर गाली देना आम बता थी। जब भी वह विरोध करती तो उसे मारपीट कर ओरडे में बंद कर देते तथा 3–4 दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं देते व सालभर पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। तब उसके साथ मुलजिमान ने गंभीर मारपीट की थी, तब भी वह फरियाद लेकर पुलिस थाना हाजिर हुई थी। तब पुलिस ने मुलजिम को बुलाकर समझौता करवाया था। उसके कुछ दिन बाद मुलजिमान का रवैया पूर्व की तरह तंग परेशान करना जारी रहा। उसका पति, उसकी सासु व उसके दोनों देवर बुधाराम, व पांचाराम मिलकर उसे ज्यादा तंग परेशान करने लगे व अब उसका पति उसे दबाव बनाता है कि तेरे पिता के घर से रूपये ला उनको दुकान करनी है, नहीं लाती है तो उनके घर में तेरी जरूरत नहीं है। उसके द्वारा मुलजिमान से ये याचना करने उसके पीहर पक्ष की हैसियत इतनी नहीं है कि वो दो लाख रूपये दे सके, जिस पर मुलजिमान नाराज हो गये तथा उसे 3–4 दिन तक लगातार मारपीट की व मारपीट कर आज से तीन रोज पूर्व मुझे मेरा स्त्रीधन भवरीया, कान की मुरकी व चांदी के आभूषण पायल खोसकर ले लिये। उसे घर से निकाल दिया, जिस पर पीहर आई तो कल दिनांक 1.9.2015 को मुलजिम उसका पति व उसके दो देवर व केसाराम पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई, साकिन बंधाकुआ वाले गाडी लेकर आये व उनके रहवासीय घर ग्राम हालीवाव में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसे व उसके पीहर वालों को धमकी को धमकी दी कि उन्होंने जैसे मांग की है, पूरी कर देना अन्यथा सोहनी को नाक काटकर छोड़ देगें व पीहर पक्ष पर गाडी डालकर मार देने की धमकी दी। इस तरह की धमकी देकर उसके भाई की दुकान हालीवाव में आयी हुई है, वहां जाकर भी उसे धमकी दी तथा उसका स्त्रीधन भंवरीया, मुरकी व पायल जो साथ लेकर आये थे, उसे बैचने पेशकश की।

WEB COPY NOT OFFICIAL

मुलजिमानों द्वारा मुझे इतना शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं कि उसके पास जीवन लीला खत्म करने के अलावा अन्य कोई जरिया नहीं रहा है। मुलजिमान उसे तंग परेशान कर मरने को मजबूर कर रहे हैं उक्त घटना की वक्त दूठवा में गंगाराम ने उसे छुड़ाया था व घर पर उसके परिवारजन उसके माता–पिता व भाई शैतान को मुलजिमानों ने धमकी दी व उसे मारने पर उतारू होने पर उन्होंने छुड़ाया.....वगैरह उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चितलवाना में मुकदमा नंबर 138/2025 अंतर्गत धारा 498ए, 323 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के रूप में दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त मोटाराम के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 498'ए', 323 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्त के विरूद्व आरोप–पत्र पेश होने पर अभियुक्त मोटाराम के विरूद्व धारा 498'ए', 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। बाद बहस चार्ज धारा 498'ए', 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन समझ आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 भभुताराम, पी.डब्ल्यू. 02 पालूदेवी, पी.डब्ल्यू 03 आसुराम, पी.डब्ल्यू 04 गंगाराम व पी.डब्ल्यू 05 सोहनी देवी को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में माननीय न्यायालय में पेश पुलिस बयान भभुताराम प्रदर्श पी 1, पुलिस बयान पालुदेवी प्रदर्श पी 2, पुलिस बयान गवाह आसुराम प्रदर्श पी 3, पुलिस बयान गवाह गंगाराम प्रदर्श पी 4, घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 5, घटना का मौका प्रदर्श पी 6 व पुलिस बयान परिवादिया सोहनी देवी प्रदर्श पी 7 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया।

05. परिवादीया/आहता सोहनी देवी ने अभियुक्त मोटाराम के साथ लोक अदालत की भावना से धारा 323 भा.दं.सं. के तहत राजीनामा पेश किया जिस पर अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 323 भा.दं.सं. के जुर्म से जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह परिवादीया/आहता सहित अन्य गवाहान् के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से शेष गवाहान् को तलब किया जाना आवश्यक नहीं होने से उनकी तलबी बंद की गयी। अब अभियुक्त पर धारा 498'ए' भा.दं.सं. के तहत आरोप विचारणीय है।

06. अभियुक्त मोटाराम को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित

WEB COPY NOT OFFICIAL

किया गया, जिसमें उसने गवाहान् द्वारा गलत कथन किया जाना एवं स्वयं का निर्दोष होना कथन किया एवं प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

07. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि प्रकरण की आहता ने अपने सशपथ कथनों में अभियोजन कहानी की ताईद की है, जिससे अभियोजन कहानी पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अंत मे पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

08. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में आहता सोहनी देवी एवं अभियुक्त मोटाराम के मध्य राजीनामा हो गया है। आहता सोहनी देवी जो कि न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में परीक्षित हुई है, अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों की ताईद उसने पूर्णतः नहीं की है एवं अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रकरण की परिवादीया सहित अन्य परीक्षित सभी गवाहान् न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई कथन नहीं किए है। गवाह बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक संपुष्टि का अभाव है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

09. बहस अंतिम उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1. ***''क्या अभियुक्त ने परिवादिया श्रीमती सोहनी देवी के विवाहोत्तर या उसके लगभग परिवादिया को अपनी विवाहित पत्नी होना जानते हुए परिवादिया को दहेज मांग हेतु तंग–परेशान एवं मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की?''***

2. ***यदि हां, तो अभियुक्त किस दंड का भागीदार हैं?''***

10. पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण परिवादीया सोहनी देवी द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 के आधार पर संस्थित हुआ था। उक्त प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गवाह आहता सोहनी देवी है, जिसे सहायक अभियोजन अधिकारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब 14–15 साल पूर्व उसकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के साथ मोटाराम के साथ संपन्न हुई थी। शादी के समय उसके माता–पिता ने उसे सोने–चांदी के जेवरात व घर गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिए थे। उसके दाम्पत्य जीवन से दो बच्चे हैं, जिनके नाम विकास और प्रियंका है। शादी के पश्चात् वह अपने ससुराल आती–जाती रही। उसका पति घरेलू कामकाज को लेकर बोलचाल करता था। इसके अलावा उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसे उसके पति ने दहेज के लिए कभी तंग–परेशान नहीं किया। उसने आवेश में आकर अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस थाना चितलवाना में रिपोर्ट दी थी, जो प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है व सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह द्वारा पुलिस बयान प्रदर्श 07 का ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान से इंकारी जाहिर की तथा इस बात को सही होना स्वीकार किया कि उसके पति मोटाराम से राजीनामा हो गया है वह राजी खुशी अपने बच्चों सहित पति के साथ रह रही है तथा उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में प्रदर्श पी 05 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की उसे जानकारी नहीं होने व उसे उसके पति द्वारा दहेज के लिए कभी तंग–परेशान नहीं करने और न ही कभी मारपीट करने बाबत् कथन किए हैं।

11. अन्य परीक्षित गवाहान् में पी.डब्ल्यू. 1 भभुताराम, जो परिवादीया/आहता सोहनी देवी का पिता हैं व पी.डब्ल्यू 2 पालुदेवी, जो परिवादीया/आहता सोहनी देवी की माता हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब 15–20 साल पहले उनकी पुत्री सोहनी की शादी हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार मोटाराम पुत्र जालाराम निवासी दुठवा के साथ संपन्न हुई थी। शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार सोने–चांदी के जेवरात एवं घर गृहस्थी के सामान उपहार स्वरूप दिए थे। शादी के पश्चात् उनकी पुत्री अपने ससुराल आती–जाती रही। ससुराल में उनकी पुत्री व उसके पति के बीच घरेलू कामकाज को लेकर बोलचाल होती थी। उनकी पुत्री को उसके पति ने दहेज के लिए कभी तंग–परेशान या मारपीट नहीं की थी। उनकी पुत्री ने उन्हें व उनके परिवार को दहेज के लिए तंग–परेशान करने की बात नहीं बताई। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाहान् ने अपने पुलिस बयानों से इंकारी जाहिर की

WEB COPY NOT OFFICIAL

है तथा इस बात को सही होना स्वीकार किया है कि उनकी पुत्री सोहनी का उसके पति मोटाराम के साथ राजीनामा हो गया है, उनकी पुत्री वर्तमान में अपने बच्चों सहित पति के साथ ससुराल में रह रही है। उक्त गवाहान् ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस बात को सही होना स्वीकार किया कि उनकी पुत्री ने दहेज के लिए तंग–परेशान की बात उसको कभी नहीं बताई थी तथा उनकी पुत्री व उसके पति के आपसी राजीनामा हो गया है।

12. अन्य परीक्षित गवाहान् में पी.डब्ल्यू. 3 आसुराम व पी.डब्ल्यू 4 गंगाराम हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब 15–20 साल पहले उनके पड़ोसी मोटराम व उसकी पत्नी के आपस में क्या होता था उन्हें जानकारी नहीं है। उक्त गवाहान् न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाहान् ने अपने पुलिस बयानों से सी से डी भाग से इंकारी जाहिर की है तथा इस बात को सही होना स्वीकार किया है कि सोहनी का उसके पति मोटराम के साथ राजीनामा हो गया है, वर्तमान में अपने बच्चों सहित पति के साथ ससुराल में रह रही है। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस बात को सही होना स्वीकार किया कि मोटाराम व सोहनी के अपासी राजीनामा हो गया है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने के पश्चात् न्यायालय के विनम्र मतानुसार प्रकरण में पक्षकारान् में आपस में लोक अदालत की से अभियुक्त मोटाराम पर आरोपित अपराध 323 भादसं. में राजीनामा हो जाने से राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो बाद जांच तस्दीक किया गया। अतः अभियुक्त मोटराम पर शेष रहे आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498'ए' भा.द.सं के संबंध मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 05 सोहनी देवी, जो कि प्रकरण में परिवादीया/आहता है, उक्त गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है एवं उसके व उसके पति के बीच घरेलू कामकाज को लेकर बोलचान होने के कथन करती है लेकिन अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसको तंग परेशान व प्रताड़ित करने बाबत् कोई साक्ष्य नहीं दी है। अभियोजन अधिकारी की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह पक्षकारों का आपस में राजीनामा होने बाबत् कथन करती है तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस बात को सही होना स्वीकार करती है कि रिपार्ट में क्या लिखा हुआ है उसे पता नहीं। उसके पति ने उसे दहेज के लिए कभी तंग–परेशान नहीं

WEB COPY NOT OFFICIAL

किया, न ही उसके साथ मारपीट की। परिवादीया के पिता भभुताराम पी.डब्ल्यू. 1 व परिवादीया की माता पालूदवी पी.डब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुए हैं। उक्त गवाहान् अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि उनकी पुत्री व उसके पति के बीच घरेलू कामकाज को लेकर बोलचाल होती थी, उनकी पुत्री को उसके पति ने दहेज के लिए कभी तंग–परेशान या मारपीट नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 के सी से डी भाग देने से इंकारी जाहिर की है तथा उक्त गवाहान् पक्षकारान् में आपस में राजीनामा हो जाना ताईद करता है व अभियोजन कहानी के समर्थन में उक्त गवाह ने लेशमात्र भी कथन नहीं किए हैं। उक्त गवाहान् भी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है व सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई कथन नहीं किए हैं। अन्य गवाहान् पी.डब्ल्यू 3 आसुराम व पी.डब्ल्यू 4 गंगाराम के रूप में परीक्षित हुए हैं उक्त गवाहान् ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि करीब 15–20 साल पहले उनके पड़ोसी मोटाराम व उसकी पत्नी के आपस में क्या होता था उन्हें जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 के सी से डी भाग देने से इंकारी जाहिर की है तथा उक्त गवाह पक्षकारान् में आपस में राजीनामा हो जाना ताईद करता है व अभियोजन कहानी के समर्थन में उक्त गवाह ने लेशमात्र भी कथन नहीं किए हैं। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है व सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई कथन नहीं किए हैं। इस प्रकार न्यायालय में आई सम्पूर्ण साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन एवं विश्लेषण करें तो प्रकरण में परिवादीया द्वारा पेश रिपोर्ट अत्यंत बढ़ा–चढ़ाकर लिखवाई गयी है, जिसकी सारतः पुष्टि गवाहान् के बयानों से नहीं होती है। साथ ही सोहनी देवी ने अभियुक्त मोटाराम के साथ धारा 323 भा.द. सं में राजीनामा पेश किया है जो न्यायालय द्वारा बाद जांच तस्दीक किया गया है, उक्त गवाहान् न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुई है। परिवादीया सोहनी देवी सहित न्यायालय में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 1 भभुताराम, पी.डब्ल्यू 2 पालूदेवी, गवाह पी.डब्ल्यू 3 आसूराम व गवाह पी.डब्ल्यू 4 गंगाराम पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई कथन नहीं किए हैं। गवाह बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक साक्ष्य सम्पुष्टि का अभाव है। जब तक अपराध संदेह से परे साबित नहीं हो जाता, अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है। सबूत का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर रहता है एवं संदेह का लाभ अभियुक्त को

WEB COPY NOT OFFICIAL

मिलता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवादिया श्रीमती सोहनी देवी के विवाहोत्तर या उसके लगभग परिवादिया को अपनी विवाहित पत्नी होना जानते हुए परिवादिया को दहेज मांग हेतु तंग–परेशान एवं मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की हो, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त मोटाराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323 भा.दं.सं में पक्षकारान् में आपस में लोक अदालत की से राजीनामा हो जाने से व शेष रहे अपराध अंतर्गत धारा 498'ए' भादसं में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

14. अतः अभियुक्त मोटाराम पुत्र जालाराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी दूठवा, पुलिस थाना चितलवाना, जिला–जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323 भादसं में पक्षकारान् में आपस में राजीनामा हो जाने से एवं आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498'ए' भादसं. में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(भीम सिंह मीणा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांचौर, जिला–जालोर।

15. निर्णय आज दिनांक **01.08.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(भीम सिंह मीणा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांचौर, जिला–जालोर।